आलोक कुमार वर्मा
निदेशक

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
भारत सरकार
5-बी, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011-24360532 फैक्स : 011-24362437

अ.शा.प.सं. 94/1-1/18-19/रा०भा०

दिनांक 31.08.2018

संदेश

14 सितम्बर, 1949 के दिन संविधान निर्मात्री सभा ने सर्वसम्मति से देवनागरी हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों इत्यादि में 14 सितम्बर का दिन **हिन्दी दिवस** के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और हम सभी को अपना कार्यालयी कार्य बिना किसी झिझक के अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी में करना चाहिए। मैं विशेष तौर पर ब्यूरो के अधिकारियों से अपेक्षा करुँगा कि वे पत्रावलियों पर टिप्पणियाँ, आदेश इत्यादि हिन्दी में ही दें जिससे उनके अधीनस्थ कार्यरत् कर्मचारीगण भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। प्रौद्योगिकी विकास के कारण नित नए सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं जिससे कम्प्यूटरों पर हिन्दी में काम करना दिन प्रति दिन आसान होता जा रहा है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कार्यालयी हिन्दी को सहज और सरल रूप में लिखा जाए जिसे सभी आसानी से समझ सकें। इसके साथ-साथ मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह करुँगा कि वे कार्यालय में अनुवाद-जनित हिन्दी के बजाय मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता दें।

मैं इस अवसर पर आप सभी अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आप सबको इस पुनीत अवसर पर पुन: अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिन्द।

आलोक कुमार वर्मा

आलोक कुमार वर्मा